राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:– एफ 2 (क) (जी–66) (से.नि.)/अलेसे–I/2186-8) दिनांक:–08.11.2011

कार्यालय आदेश संख्या 177/2011–12

वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.6/2/एफडी/रूल्स/98 दिनांक 17.02.1998 के अनुसरण मे श्री गोविन्द राम भाटी, सहायक लेखाधिकारी (सेवानिवृत्त), जिनकी जन्मतिथि 12.10.1951 है, इन्होंने लेखाकार पर पर दिनांक 21.11.1979 को कार्यग्रहण किया था। इन्होंने अधीनस्थ लेखा सेवा मे 18 वर्ष अथवा इससे अधिक की निरन्तर एवं संतोषजनक राज्यसेवा पूर्ण कर ली है तथा जो उक्त सेवा मे द्वितीय (18 वर्षीय) चयनित वेतनमान प्राप्त करने के पात्र है, को दिनांक 21.11.1997 से लेखाकार पद का द्वितीय चयनित वेतनमान 8000–13500 मे स्वीकृत किया जाता है।

उपर्युक्त सहायक लेखाधिकारी के वांछित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.1 (20) वित्त/ग्रुप–2/92 दिनांक 23.04.1994 में दी हुई शर्तो के संबंध मे संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्ति के आधार पर चयनित वेतनमान इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है, कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन मे प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर चयनित वेतनमान के बारे में निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

श्री गोविन्द राम भाटी, सहायक लेखाधिकारी (से0नि0) का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 17.02.1998 के पैरा–10 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से श्री भाटी, सहायक लेखाधिकारी (से0नि0) की सेवा–पुस्तिका मे की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे, कि संबंधित सहायक लेखाधिकारी चयनित वेतनमान स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 1998 मे वेतन प्राप्त कर रहें है।

निदेशक

क्रमांक:– एफ 2 (क) (जी–66) (से.नि.)/अलेसे–I/2186-8) दिनांक–08.11.2011

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष अतिरिक्त आयुक्त आबकारी जोन, अजमेर।
2. श्री गोविन्द राम भाटी, सहायक लेखाधिकारी, अतिरिक्त आयुक्त आबकारी जोन, अजमेर।
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–I)